सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 01.08.2024

जिलाधिकारी इटवा एवं एसएसपी इटावा द्वारा बढ़पुरा उदी चैक पर चैकिंग के दौरान भैंस की तस्करी करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार एवं लोडरों पर की गयी कार्यवाही , कब्जे से परिवहन में प्रयुक्त लोडरों से कुल 28 भैंस के बच्चे/पडरा की गयी बरामद एवं 01 अन्य लोडर का किया गया कुल 20,000/- रूपये का चालान।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में जिलाधिकारी इटावा श्री अवनीश कुमार राय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार वर्मा के द्वारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बार्डर थाना बढ़पुरा क्षेत्रान्तर्गत उदी चैक पोस्ट पर संयुक्त चैंकिग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं मध्य प्रदेश एवं इटावा के बार्डर पर लगे थाना बढ़पुरा के उदी चैक पोस्ट पर ओवर लोड वाहन/खनिज सम्पदा/कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दिनांक 01/08/2024 की रात्रि को जिलाधिकारी इटावा श्री अवनीश कुमार राय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार वर्मा द्वारा भारी संख्या में पुलिस के साथ उदी चैक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया एवं आने-जाने वाले वाहनों की चैकिंग की गयी इसी दौरान लोडरों को चैक किया गया तो **इन लोडरों से कुल 28 भैंस के बच्चे/पडरा बरामद की गयी जिनमें में 01 भैंस/पडरा मृत अवस्था में लोडर में पायी गयी।** एवं कुल **04 व्यक्तियों को समय करीब 01.25 बजे रात्रि में** गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बढ़पुरा पर **तत्काल मु0अ0सं0 43/2024 धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम** पंजीकृत किया गया एवं बरामद/परिवहन में प्रयुक्त लोडरों को एमबीएक्ट के तहत सीज किया गया।

इसी दौरान 01 अन्य लोडर को चैक किया गया जिसमें छत पर बैठे लोगों को हिदायत दी गयी **एवं लोडर का एमबीएक्ट की विभिन्न धाराओं में कुल 20,000/- रूपये का चालान किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नौशाद खान पुत्र अब्दुल खान निवासी ग्राम बौनापुरा थाना रौण जनपद भिण्ड म0प्र0 **उम्र 32वर्ष।**
2. मोहन पुत्र तीरथ राम कुशवाहा निवासी ग्राम बेहट थाना बेहट जनपद भिण्ड म0प्र0 **उम्र 25 वर्ष।**
3. रंजीत कुमार पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम छिमारा थाना वैदपुरा जनपद इटावा **उम्र 24 वर्ष।**
4. आकाश पुत्र शेर सिंह निवासी सर्कटा हाउस थाना कोतवाली जनपद भिण्ड म0प्र0 **उम्र 18 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 43/2024 धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।

पुलिस टीम- जिलाधिकारी इटावा अवनीश कुमार राय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार वर्मा, एडीएम अभिनव रंजन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा, एसडीएम सदर इटावा, प्रभारी निरीक्षक थाना बढ़पुरा सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासन के अधि0/कर्म0गण।